

भारत सरकार

कार्यालय

आयकर आयुक्त, जयपुर-प्रथम

जयपुर

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 अ (अ) के अधीन न्यास/संस्थाओं का पंजीकरण

श्रीमान् इन्स्टीट्यूट ऑफ करल अफेयर्स समिति

इ.स. १९८८ ई. में विहार के पास खातीपुरा जयपुर

जो दिनांक 14.5.2000 को न्यास विलेख/मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन द्वारा गठित है, दिनांक 22.8.2003 को निम्न प्रपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 अ (अ) के अधीन पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है जो कि निर्धारित समय में है।दिन विलम्ब होने पर मियाद बाहर था। न्यास/संस्था द्वारा प्रार्थना-पत्र देर से प्रस्तुत करने के कारण समुचित होने देर को माफ किया जाता है।

प्रार्थना-पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है, अतः इसे नामंजूर किया जाता है।

पंजीकरण दिनांक 01.04.2003 से माना जावेगा।

(2) प्रार्थना-पत्र की धारा 12 अ (अ) के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना-पत्रों के रजिस्टर में संख्या न्यास/संस्था 112/18 में दर्ज कर लिया गया है।



श्रीमान् इन्स्टीट्यूट ऑफ करल अफेयर्स समिति

आयकर आयुक्त,
जयपुर-प्रथम, जयपुर

दिनांक 11.2.2004
17

संख्या : आ. आ./त. एवं न्या./धारा 12 अ (अ)/ 1/1

पत्र : श्रीमान् इन्स्टीट्यूट ऑफ करल अफेयर्स समिति
इ.स. १९८८ ई. में विहार के पास खातीपुरा जयपुर

1. आयकर अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित।
2. श्रीमान् अपर आयकर आयुक्त / उपायुक्त खण्ड को सूचनार्थ।

(दी. प्र. अ. अ.)
आयकर अधिकारी (तकनीकी एवं न्यायिक)

आयकर अधिकारी (तकनीकी एवं न्यायिक)
कृते-आयकर आयुक्त
जयपुर प्रथम, जयपुर

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 53 जयपुर/2000 - 2001

यह प्रमाणित किया जाता है कि नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ
रूरल अफेयर्स समिति, जयपुर जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 16 माह मई सन १९९९ को जयपुर में किया गया।



अशोक अग्रवाल
रजिस्ट्रार संस्थान

जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 374969

INCOME TAX PAN SERVICES UNIT
(Managed by Unit Trust of India Investor Services Ltd.)
Plot No. 3, Sector 11, Post Bag No. 20, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

The Income Tax Department takes pleasure in informing that the PAN allotted to you is :

AAAAAN2697K

and the PAN card is enclosed herewith. Further, for filing the return of income, please contact

ITO WARD 3(1), JAIPUR

Quoting of PAN on return of income and challans for payment of taxes is necessary to ensure accurate credit of taxes paid by you and faster processing of return of income. Moreover, quoting PAN on all other communications with the department will help to improve taxpayer services

We may inform that it is mandatory to quote PAN in several transactions specified under the Income Tax Act, 1961. For further details of such transactions, reference is invited to rule 114B of the Income Tax Rules, 1962 read with section 139A of the Income Tax Act, 1961.

In the unlikely event of more than one PAN being allotted, this fact should be brought to the notice of your Assessing Officer, as possessing or using more than one PAN is against law and may attract penalty of up to Rs. 10,000/-.

Any errors in the data printed on your PAN Card may be brought to the notice of IT PAN Services Unit at the address given above and on the reverse of the PAN Card.

Income Tax Department

BundleID: OTH2906 / DespatchID 16621852

M/s NATIONAL INSTITUTE OF
NATIONAL INSTITUTE OF RURAL AF
55 K 5/C
NEAR CHAND BIHARI NAGAR
KHATIPURA
JAIPUR
RAJASTHAN 302012

(This being a computer-generated letter, no signatures are required)